

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2022-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क). सारणी में, कॉलम (3) में-

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, , उपवाक्य (i) में, “ स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक , जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, पहले परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, “केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, “निवास के रूप में” शब्दों के पश्चात “, उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो, ” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग). क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य में अवस्थित या पश्चिम बंगाल राज्य के बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;";

(ङ). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)

"अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाऊसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.";

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; ";	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ञ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

“52क	शीर्षक 9985	<p>दूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और दूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली दूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक:</p> <p>बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई दूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और दूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे दूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो:</p> <p>बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण - "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है।</p> <p><b>दृष्टांतः</b></p> <p>कोई दूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:-</p> <p>(क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-,</p>	Nil	Nil”;
------	-------------	--	-----	-------

	<p>छूट: रु. 40,000/- (= रु.1,00,000/- x 2/5) या, रु.50,000/- (= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-);</p> <p>(ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-.</p> <p>छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो , यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-);</p> <p>(ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-.</p> <p>छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात्। , रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-).</p>	
--	--	--

- (ए). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;
- (थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (द). क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ध). क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो ।”;

(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)

“प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं-

(क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकूत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, ”;

(फ). क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित जाएंगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/176/2022-टी आर यु]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।